

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 सितम्बर 2015-भाद्र 20, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (माधवराव काउण्टर मैगनेट), ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 28 अगस्त, 2015

भूमि के वर्तमान उपयोग मानचित्रों के प्रकाशन की सूचना

क्रमांक/ /वि.यो./साडा/2015/11382.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि विशेष क्षेत्र (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, माधवराव काउण्टर मैगनेट), ग्वालियर के सीमा वृद्धि क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र जो, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र.-23 सन् 1973) की धारा-69(ख) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-15 की उपधारा-(1) के अधीन नवगठित गाँवों के तैयार किए गए हैं, उनकी एक-एक प्रति कलेक्टर, ग्वालियर, मुरैना एवं भिण्ड तथा साडा (माधवराव काउण्टर मैगनेट), ग्वालियर में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

विशेष क्षेत्र की सीमा में सम्मिलित नवीन गाँवों की सूची

तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के ग्राम:- महिदपुर, महेश्वर, अगरा, भटपुरा, डांगगुठीना एवं खिरिया केसर.

तहसील गोहद, जिला भिण्ड के ग्राम:- तिलोरी, धिरोंगी एवं मालनपुर.

तहसील जौरा, जिला मुरैना के ग्राम:- खनेता, सहराना.

तहसील मुरैना, जिला मुरैना के ग्राम:- लोलकपुरा, जयनगर, बनी, चुरेहला, बरेंडा, लभनपुरा, जारोनी, लोहगढ़, दोरावली, जरेरुआ, करुआ, जरारा, धनेला, पहाड़ी, सपचोली, जखौंदा, विजयपुरा, बारे का पुरा, सिकरोडी, सेवा, नूराबाद, तिघरा, गुलेन्दा, खरगपुर, भरोड, मडराई, महटोली, गोबरा, कनकटपुरा, मलखानपुरा, खेरिया, चन्हेटी, उराहना, दौलसा, पिनावली, पारोली, नयामाँव, करोला, बरईपुरा, खिरावली, रांसू, इनुर्खी, रंनचोली, पडावली, भटपुराडांग, बक्शीपुरा, बडवारी, बरतपुर, भनई, ऐंती, बराहबली, भितावली, गडाजर, पिपरसेवा, भानपुरा, पिपरई, नायकपुरा, जैतपुर, चम्बल, मसूदपुर, बिडवाचंबल, जारह, हुसैनपुर, बंध, हेतमपुर, होलीपुरा, पचोखरा, दीखतपुरा, सिकरौदा, पिपरसा, खरिका, भांकरी.

उपरोक्त गांव पूर्व अधिसूचित विशेष क्षेत्र के 36 गाँवों के अतिरिक्त हैं, यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मानचित्रों के सम्बन्ध में कोई आपत्ति सुझाव हो, तो उसे मुख्य कार्यपालन साडा (माधवराव काउण्टर मैगनेट), ग्वालियर को मध्यप्रदेश राजपत्र में सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अन्दर भेजा जाना चाहिए.

भूमि के उपयोग सम्बन्धी-मानचित्र के सम्बन्ध में सभी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, साडा (माधवराव काउण्डर मैगनेट) ग्वालियर द्वारा विचार किया जावेगा.

(327-बी.)

वी. के. शर्मा,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, हेमन्त कुमार आर्या पिता जानकी प्रसाद आर्या मेरा नाम स्कूल की मार्कशीट में हेमन्त कुमार है परन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में, सभी दस्तावेजों में मेरा नाम हेमन्त कुमार आर्या है. अतः मैं मेरा नाम हेमन्त कुमार आर्या ही रखना चाहता हूँ. मुझे अब से हेमन्त कुमार आर्या पिता जानकी प्रसाद आर्या के नाम से ही जाना व पहचाना जावे व बोला जावे. मेरे सभी कार्यों में, दस्तावेजों में मेरा नाम हेमन्त कुमार आर्या ही लिखा, पढ़ा जावेगा.

पुराना नाम :

(हेमन्त कुमार)

नया नाम :

(हेमन्त कुमार आर्या)

पिता-जानकी प्रसाद आर्या,
पता-C/o स्टेट बैंक इंडिया ईसागढ़,
जिला अशोकनगर (म.प्र.).

(318-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार शान्तराम पुत्र श्री दगडु ढोरकी, आयु 60 वर्ष, जाति माली वर्तमान, पता-सी-104, विलो स्प्रिंग वैली डेव कटारा हिल्स, भोपाल जो मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड सारणी, जिला बैतूल में कार्यरत होकर दिनांक 31-12-2014 को सेवानिवृत्त हुए हैं, जिनके सर्विस रिकार्ड में भिन्न-भिन्न नाम क्रमशः शान्तराम ढोरकी, शान्तराम, शान्तराम दगडुजी एवं बैंक पासबुक में महाजन शान्तराम दर्ज तथा भारत निर्वाचन आयोग मतदाता परिचय कार्ड नम्बर MP/28/232/489461 में नाम शान्तराम पिता का नाम दगडु जी व पेन कार्ड नम्बर ABLPD3815E में शांतराम दगडु पिता का नाम दगडु एवं आधार कार्ड नम्बर 671713100742 में शांतराम महाजन पिता का नाम दगडु जी अंकित है और भारतीय स्टेट बैंक की शाखा सारणी, जिला बैतूल पासबुक खाता नम्बर 10921189213 में महाजन शान्तराम अंकित है. उपरोक्त सभी मेरे पक्षकार शान्तराम पुत्र श्री दगडु ढोरकी के हैं. जिन्हें उक्त नाम "शान्तराम पुत्र श्री दगडु ढोरकी" के नाम से जाना व पहचाना जावे.

मुकेश नागपुरे,

(एडवोकेट).

(319-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरी पुत्री का नाम द्युति जाजू था, जो कि अब बदलकर दक्षिता जाजू हो गया है. अतः अब भविष्य में उसे दक्षिता जाजू के नाम से जाना व पहचाना जावे.

विष्णु जाजू,

106, शिवाजी पार्क कॉलोनी,
उज्जैन (म.प्र.).

(324-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम कु. सविता शुक्ला था तथा अब मैंने अपना नाम परिवर्तित कर लिया है जो कि सुश्री भक्ति स्वामी है. लिहाजा आज के बाद भविष्य में मुझे सुश्री भक्ति स्वामी के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(कु. सविता शुक्ला)

नया नाम :

(सुश्री भक्ति स्वामी)

म.नं. 13/6, जे. ए. डी. कॉलोनी,
सागर (म.प्र.).

(326-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम रेणु पुरोहित था जो विवाह पश्चात् परिवर्तित होकर श्रीमती रेणु खानापुरकर पति कुणाल खानापुरकर हो गया है. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(रेणु पुरोहित)

नया नाम :

(रेणु खानापुरकर)

पति-कुणाल खानापुरकर,

202, अन्नपूर्णा रीजेन्सी

उषा नगर एक्स., इन्दौर (म.प्र.).

(332-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है भागीदारी फर्म में गीता बिल्डीस एण्ड डेवलपर्स के संविधान में दिनांक 05-04-2014 से निम्नांकित संशोधन हुए हैं.

फर्म से अलग होने वाले भागीदार	फर्म में यथावत् भागीदार
1. श्री सुरेश कुमार माहेश्वरी पिता मोहनलाल माहेश्वरी	1. श्री शैलेशकुमार पिता पन्नालाल माहेश्वरी
2. श्री संदेश पिता अनिल कुमार माहेश्वरी	2. श्रीमति उषा पति गोपालदास माहेश्वरी

निम्नलिखित भागीदार यथावत् भागीदारी फर्म में हैं.

फर्म में यथावत् भागीदार

1. श्री शैलेशकुमार पिता पन्नालाल माहेश्वरी

2. श्रीमति उषा पति गोपालदास माहेश्वरी

वास्ते:- मेसर्स गीता बिल्डीस एण्ड डेवलपर्स,

शैलेश कुमार,

भागीदार फर्म.

(320-बी.)

NOTICE**U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given that the firm "M/s Rajeshwari Infrastructures" of Bhopal Vide Reg. No. 01/01/01/00433/2012-2011-2012, Dated 20-01-2012 undergone the following changes:-

1. That Smt. Nidhi Gupta Voluntarily retired from the said partnership firm and Shri Manoj Kumar Gupta Shall carry the above named business as a proprietary concern at "C"-132, Indira Vihar Colony, Airport Road, Panchwati, Bhopal as per dissolution deed w.e.f. 01/04/2015.

M/s Rajeshwari Infrastructure,

MANOJ KUMAR GUPTA

(Proprietor)

C-132, Indra Vihar Colony,

Airport Road, Panchwati, Bhopal.

(321-B.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स वाटिका बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स, पता वाटिका परिसर, नियर पेट्रोल पम्प, लालघाटी, भोपाल जो फर्मों के रजिस्ट्रार के रजिस्टर में 01/01/01/00556/11, दिनांक 18-03-2011 पर रजिस्टर्ड है. फर्म में दिनांक 01-04-2011 तक क्रमशः श्री माधव प्रकाश सदाना, श्री मनोज कुमार सदाना, श्री विजयसिंह एवं श्री शंकरलाल पंजवानी चार भागीदार थे. दिनांक 01-04-2011 से श्री मुरलीधर सदाना पांचवे भागीदार के रूप में शामिल हो गए हैं.

प्रदीप कुमार शर्मा,

(अधिवक्ता).

ए-48, डॉ. अम्बेडकर कॉलोनी

ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल-462023.

(329-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स रमेशचन्द्र गोयल स्थित स्टेशन रोड, श्योपुर (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक-ए.आर.जी./फर्म-62, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 है। जिसमें दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को भागीदार श्री सुरेश चन्द त्यागी पुत्र श्री दाताराम त्यागी, आयु 44 वर्ष अपनी स्वेच्छा से भागीदारी फर्म से पृथक् हो रहे हैं। सर्वजन एवं आमजन को सूचित हो।

फर्म—मैसर्स रमेशचन्द्र गोयल

रमेशचन्द्र गोयल,

(भागीदार)

स्टेशन रोड, श्योपुर (म.प्र.)

द्वारा—हेमन्त सिरसट (कर सलाहकार),

सौगानी एण्ड कम्पनी, लोहिया बाजार,

लशकर, ग्वालियर.

(322-बी.)

आम सूचना

मैसर्स श्री राज राजेश्वरी बिल्डर्स डेवलपर्स एण्ड कालोनाईजर पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00538/11, दिनांक 04-03-2011 स्थित 58, जोन-2, एम. पी. नगर, भोपाल फर्म में दिनांक 31-03-2013 को रोहित सिंह चौहान अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं दिनांक 11-11-2014 से श्री नीलेश चौधरी आत्मज स्व. श्री त्रिभुवन सिंह फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 11-11-2014 से फर्म का नवीन ऑफिस 121, पृथ्वी कॉम्प्लेक्स, चांदिका सोसायटी बावडियाकलां, भोपाल में हो गया है। आम जन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म—मैसर्स श्री राज राजेश्वरी बिल्डर्स

डेवलपर्स एण्ड कालोनाईजर

अभिषेक वर्मा,

(भागीदार)

58, जोन-2, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.).

(323-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स पंकज कुमार राय, चांडक चौक, मलिक कॉम्प्लेक्स, एन. एच. 7, रोड, कटनी, जिसका पंजीयन क्रमांक 04/15/08/00194/10 है। उक्त फर्म 20-09-2010 को बनी थी जिसमें पंकज कुमार राय पिता श्री पी. बी. राय, अशोक श्रीवास्तव पिता आर. एल. श्रीवास्तव, विवेक कुमार राय पिता श्री आर. पी. राय, संतेन्द्र प्रताप राय पिता श्री पी.बी.राय पार्टनर थे। जिसमें से दिनांक 01-06-2011 को श्री अशोक श्रीवास्तव पिता श्री आर. एल. श्रीवास्तव अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं। उक्त फर्म में श्री अशोक श्रीवास्तव से किसी प्रकार का कोई लेना नहीं है। इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस के अन्दर मेरे पक्षकार के मैसर्स पंकज कुमार राय चांडक चौक मलिक कॉम्प्लेक्स एन. एच. 7, रोड, कटनी में सम्पर्क करें। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

वास्ते—मैसर्स पंकज कुमार राय

पंकज कुमार राय,

(साझेदारी/अधिकृत).

चांडक चौक, मलिक कॉम्प्लेक्स,

एन. एच. 7, रोड, कटनी (म.प्र.).

(325-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स पायोनियर इन्फ्रास्ट्रक्चर, पता-35, सेक्टर-सी, बी. डी. ए. कॉलोनी, कोहेफिजा, भोपाल जो कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस एण्ड सोसायटीज मध्यप्रदेश में पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00237/09, दिनांक 23-11-2009 पर पंजीयत फर्म है में से भागीदार— (1) श्री राहुल गुप्ता पुत्र स्व. श्री रमेशचन्द्र गुप्ता दिनांक 27-12-2010 से फर्म से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए हैं एवं 27-12-2010 से ही (2) कु. निकिता कोठारी पुत्री श्री संजय कोठारी फर्म में नयी भागीदार हो गई हैं। अतः फर्म दिनांक 27-12-2010 से श्रीमति अनीता कोठारी पत्नी श्री संजय कोठारी, श्री संजय कोठारी पुत्र स्व. श्री एम. पी. कोठारी एवं कु. निकिता कोठारी पुत्री श्री संजय कोठारी की भागीदारी में जारी रहेगी। साथ ही 27-12-2010 से फर्म का पता-35, सेक्टर-सी, बी. डी. ए. कॉलोनी, कोहेफिजा, भोपाल के स्थान पर बी-73, अल्कापुरी भोपाल हो गया है।

प्रदीप कुमार शर्मा,

(अधिवक्ता)

ए-48, ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल-462023.

(330-बी.)

आम सूचना

मेरे पक्षकार की ओर से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार मैसर्स जगदीश सक्सेना कॉन्ट्रेक्टर, पंजीयन क्रमांक 01/40/01/00387/10, दिनांक 06-12-2010 मुख्य स्थान मकान नं. 01 महात्मा गांधी मार्ग, राजगढ़ अन्य स्थान सी-54, आग्रइस्टेट, कोलार रोड, नयापुरा, भोपाल, जो कि भागीदारी के रूप में दिनांक 06-12-2010 से अस्तित्व में है, जिसके अन्तर्गत चार भागीदार थे, जिनमें से दो भागीदार 1. मनोज सिंह चौहान पुत्र श्री लल्ला सिंह चौहान एवं 2. श्रीमती साधना सिंह चौहान पति श्री मनोज सिंह चौहान, दोनों निवासी-मकान नं. 01 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सदर बैतूल, दिनांक 07-12-2012 से भागीदारी फर्म से स्वेच्छा से निवृत्त हो गए हैं, जिसकी भागीदारी संशोधन हेतु रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल को आवेदन किया गया. संशोधन दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 दोनों भागीदार 1. श्री जगदीश सक्सेना पुत्र स्व. श्री हरिप्रसाद सक्सेना एवं 2. श्रीमती निशा सक्सेना पति श्री जगदीश सक्सेना दोनों, निवासी-सी-54, आग्रइस्टेट, कोलार रोड, नयापुरा भोपाल द्वारा संचालित की जा रही है. इस समाचार-पत्र के माध्यम से सभी शासकीय विभाग, अर्धशासकीय विभागों एवं वित्तीय संस्था बैंक तथा व्यक्ति विशेष को सूचित किया जाता है.

भवदीय

रामेश्वर डोबले,

(अधिवक्ता).

पता-ए-ब्लॉक, एफ. बी. 8,

मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, भोपाल (म.प्र.).

(328-बी.)

सार्वजनिक सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स कृष्ण पुष्पा बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स, जो कि रजिस्ट्रेशन फर्म एण्ड सोसायटीज मध्यप्रदेश पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0128/15, दिनांक 23 जून, 2015 पर पंजीयत फर्म है, जिसका गठन भागीदार श्री राजेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री के. एस. चौहान एवं श्री उदय सिंह चौहान, पुत्र श्री आर. सिंह की भागीदारी में किया गया था. अतः दिनांक 01-08-2015 को श्री उदयसिंह पुत्र श्री आर. सिंह स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए हैं एवं दिनांक 01-08-2015 से उनके स्थान पर (1) श्री रूपेश कुमार जैन पुत्र श्री राजकुमार जैन, (2) श्रीमती नम्रता जैन पत्नी श्री मुकेश जैन, (3) श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री राजकुमार जैन, (4) श्री राजकुमार जैन पुत्र स्व. श्री भगवानदास जैन, (5) श्रीमती अमृता जैन पति श्री रूपेश कुमार जैन, (6) श्रीमती चंदा जैन पति श्री राजकुमार जैन को सर्वसहमति से सम्मिलित किया गया है.

फर्म दिनांक 11-12-2010 से 20-07-2015 तक एम. बी.-12, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल मध्यप्रदेश स्थित रही. अतः दिनांक 01-08-2015 से फर्म जी-5, जीवन सागर, अपार्टमेंट, मालवीय नगर, भोपाल मध्यप्रदेश पर स्थित है. अतः सूचना जानिए.

श्रीरिष मिश्रा,

(अधिवक्ता).

ज्यूरिस कन्सल्टस लॉ फर्म,

एच-202, विजय स्तंभ, एम. पी. नगर,

जोन-1, भोपाल (मध्यप्रदेश).

(331-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, छतरपुर

प्र. क्र.04/बी-113/2014-15.

छतरपुर, दिनांक 27 अगस्त, 2015

प्रारूप-4

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 (1951 का 30) मध्यप्रदेश लोक न्याय नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत लोक न्यायों के पंजीयक छतरपुर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश के समक्ष यह कि:-

क्रमांक	नाम	पता	पद
1	2	3	4
1.	श्री सनत कुमार सोनी तनय लक्ष्मनदास सोनी	तमरबाई मुहल्ला, छतरपुर म.प्र.	अध्यक्ष

1	2	3	4
2.	श्री संजय सोनी तनय श्री रामसेवक सोनी	तमरयाई मुहल्ला, छतरपुर म.प्र.	उपाध्यक्ष
3.	श्री कैलाश तनय नाथूराम कोठीवारे	तमरयाई मुहल्ला, छतरपुर म.प्र.	सचिव
4.	श्री चंद्रभान ताम्रकार तनय बैजनाथ	तमरयाई मुहल्ला, छतरपुर म.प्र.	कोषाध्यक्ष
5.	श्री ओमप्रकाश ताम्रकार तनय बल्ले ताम्रकार	छतरपुर म.प्र.	सदस्य
6.	श्री श्यामबाबू ताम्रकार तनय स्वामी प्रसाद ताम्रकार	छतरपुर म.प्र.	सदस्य
7.	श्री मदन पिपरसानिया तनय नाथूराम पिपरसानिया	छतरपुर म.प्र.	सदस्य
8.	श्री अरविन्द कांटीवार तनय लक्ष्मन ताम्रकार	छतरपुर म.प्र.	सदस्य
9.	श्री प्रेम नारायण तनय गुलजारी लाल ताम्रकार	तमरयाई मुहल्ला, छतरपुर म.प्र.	सदस्य
10.	श्री पप्पू अनुरागी	घुसयाना मुहल्ला, छतरपुर म.प्र.	सदस्य
11.	श्री किशन घोष तनय भागवत घोष	घुसयाना मुहल्ला, छतरपुर म.प्र.	सदस्य
12.	श्री रवीन्द्र कुमार सोनी	तमरयाई मुहल्ला, छतरपुर म.प्र.	सदस्य
13.	श्री कमला कान्त गंधर्व तनय शंकर गंधर्व	बसारी दरवाजा, छतरपुर	सदस्य
14.	श्री अशोक कुमार सोनी तनय लोकनाथ सोनी	लोधी कुईयां के पास, तमरयाई मुहल्ला छतरपुर	सदस्य
15.	श्री जयप्रकाश सोनी	छतरपुर म.प्र.	सदस्य
16.	श्री मोहनलाल अनुरागी	छतरपुर म.प्र.	सदस्य
17.	श्री दीपक यादव तनय बच्ची यादव	परिक्रमा रोड, छतरपुर म.प्र.	सदस्य
18.	श्री हुकुम यादव तनय भान सिंह यादव	परिक्रमा रोड, छतरपुर म.प्र.	सदस्य

3. चूंकि आवेदकों/न्यासियों की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा श्री श्री 1008 मंदिर फूला देवी बाईपास राजनगर रोड, सरानी मार्ग, छतरपुर मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु ट्रस्ट एक्ट 1951 के अधीन पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र पर दिनांक 28 सितम्बर, 2015 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा. इस सम्बन्ध में जिस किसी को आपत्ति हो वह आपत्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रकरण में नियत दिनांक के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस में स्वयं अथवा अधिकृत अभिभाषक के माध्यम से अपनी आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

3. लोक न्यास का नाम और पता : श्री श्री 1008 मंदिर फूला देवी बाईपास
राजनगर रोड, सरानी मार्ग, छतरपुर म.प्र.

सम्पत्ति का विवरण

चल सम्पत्ति :-

क्रमांक	नाम चल सम्पत्ति	तादाद
1	2	3
1.	टव ढक्कन सहित	07 नग
2.	परात	02 नग
3.	कडाही	03 नग
4.	जग	02 नग
5.	बाल्टी	08 नग
6.	चम्मच बड़ी	06 नग
7.	चौघडा	01 नग

1	2	3
8.	गिलास	60 नग
9.	थाली	70 नग
10.	विछाई	10 नग
11.	भट्टी	03 नग
12.	डोंगा	06 नग
13.	घण्टा बडे एवं छोटे	35 नग
14.	तखत	02 नग
15.	फर्स	02 नग
16.	पलंग पेटी	01 नग

अचल सम्पत्ति का विवरण :-

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. मंदिर माँ फूला देवी | 2. मंदिर शंकर जी |
| 3. मंदिर हनुमान जी | 4. मंदिर संतोषी माता |
| 5. चबूतरा नागदेव | 6. कमरा 02 सार्वजनिक भवन |
| 7. दालान 01 | 8. यज्ञशाला 01 |
| 9. समरसिबल बोरा एक सटक सहित | 10. हैण्ड पम्प 01 |

(493)

प्र. क्र.05/बी-113/2014-15.

छतरपुर, दिनांक 27 अगस्त, 2015

प्रारूप-4

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 (1951 का 30) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत लोक न्यासों के पंजीयक (रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट अनुविभाग अधिकारी छतरपुर), जिला छतरपुर मध्यप्रदेश के समक्ष यह कि:-

क्रमांक	नाम	पता	पद
1	2	3	4
1.	श्री अनुपम अग्रवाल तनय स्व. श्री नारायणदास अग्रवाल	जवाहर रोड, बुन्देलखण्ड कॉम्प्लेक्स, छतरपुर म.प्र.	अध्यक्ष
2.	श्री धीरेन्द्र शिवहरे तनय श्री दीन दयाल शिवहरे	जैन मंदिर के बगल में नौगाँव, छतरपुर (म.प्र.)	उपाध्यक्ष
3.	श्री पुष्पेन्द्र प्रताप सिंह तनय श्री बान्धवेश प्रताप सिंह	प्रताप भवन चौबे कॉलोनी, छतरपुर (म.प्र.)	उपाध्यक्ष
4.	श्री राकेश शुक्ला (राधे) तनय स्व. श्री शिवकुमार शुक्ला	शुक्लाना मुहल्ला, छतरपुर	सचिव
5.	श्री विनय चौरसिया तनय स्व. श्री जगदीश चौरसिया	खेरे की देवी के पास छतरपुर	सह सचिव
6.	श्री जयदेव सिंह तनय श्री गोविन्द सिंह	मऊसहानिया, जिला छतरपुर म.प्र.	सह सचिव
7.	श्री भागवत अग्रवाल तनय स्व. श्री भल्लू लाल अग्रवाल	जटाशंकर होटल बस स्टेण्ड, छतरपुर	कोषाध्यक्ष
8.	श्री सुशील वैद्य तनय स्व. श्री रामअवतार वैद्य	मऊसहानिया, जिला छतरपुर म.प्र.	सदस्य
9.	श्री दृगेन्द्र सिंह तनय रामा प्रताप सिंह	प्रताप मार्केट गल्ला मण्डी, छतरपुर	सदस्य
10.	श्री आशीष ताम्रकार तनय श्री ओमप्रकाश ताम्रकार	तमरयाई मुहल्ला छतरपुर	सदस्य
11.	श्री पुष्पेन्द्र खरे तनय श्री एस. के. खरे	चौबे कॉलोनी, छतरपुर	सदस्य

2. चूंकि आवेदकों/न्यासियों की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा श्री महाराज छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान बुन्देलखण्ड कॉम्प्लेक्स, जवाहर रोड, छतरपुर मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु ट्रस्ट एक्ट 1951 के अधीन आवेदन-पत्र दिया गया है। एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र पर दिनांक 28 सितम्बर, 2015 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा। इस सम्बन्ध में जिस किसी को आपत्ति हो वह आपत्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रकरण में नियत दिनांक के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस में स्वयं अथवा अधिकृत अभिभाषक के माध्यम से अपनी आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

3. लोक न्यास का नाम और पता : श्री महाराज छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान
बुन्देलखण्ड कॉम्प्लेक्स, जवाहर रोड, छतरपुर म.प्र.

सम्पत्ति का विवरण

अचल एवं चल सम्पत्ति : निरंक.

(493-A)

डी. पी. द्विवेदी,

रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

पोरवाल एजुकेशनल ट्रस्ट, कार्यालय 578, उषा नगर एक्सटेंशनल इन्दौर (म.प्र.) की ओर से श्री पंकज पिता भेरूलालजी पोरवाल, निवासी-578, उषानगर एक्सटेंशनल, इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम : पोरवाल एजुकेशनल ट्रस्ट
कार्यालय पता : 578, उषा नगर एक्सटेंशनल, इन्दौर (म.प्र.)
अचल सम्पत्ति : निरंक
चल सम्पत्ति : रु. 11,000/- (रु. ग्यारह हजार मात्र).

आज दिनांक 10 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(489)

रजनीश कसेरा,

रजिस्ट्रार.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग-पुनासा जिला खण्डवा

प्र.क्र. बी/-113(1)/2014-15

दिनांक 01 सितम्बर, 2015

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम-1962, के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि आवेदक सत्यनारायण गोयल पिता श्री हीरालाल गोयल, नि. नवलखा इन्दौर द्वारा श्री रामानंद सेवा न्यास "श्री भक्ति आश्रम गोदडपुरा, ब्रह्मपुरी ओंकारेश्वर", तहसील पुनासा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश

सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 18 सितम्बर, 2015 को विचार किया जाएगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्राकशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता : श्री रामानंद सेवा न्यास श्री भक्ति आश्रम गोदडपुरा, ब्रह्मपुरी ओंकारेश्वर, तहसील पुनासा.

परिष्ठा- "अ"

चल सम्पत्ति :-

1. बड़े भगोने एल्युमिनियम	-	04 नग
2. छोटे भगोने एल्युमिनियम	-	05 नग
3. स्टील की बाल्टी	-	10 नग
4. कमण्डल	-	10 नग
5. स्टील ग्लास	-	100 नग
6. स्टील कटोरी	-	150 नग
7. स्टील डोरी	-	05 नग
8. स्टील धामा	-	05 नग
9. बड़े कुकर	-	02 नग
10. स्टील थाली	-	150 नग
11. बड़ी दरी	-	02 नग
12. दरी पट्टी	-	10 नग
13. छोटे गलीचे	-	05 नग
14. लोहे की कढ़ाई	-	04 नग
15. फोम के गद्दे	-	40 नग
16. बिजली के पंखे	-	10 नग
17. इन्वर्टर	-	01 नग
18. प्लास्टिक कुर्सी	-	07 नग
19. महिन्द्रा बुलेरो कार	-	01 नग

परिष्ठा- "ब"

अचल सम्पत्ति :-

1. ग्राम गोदडपुरा प. ह. नं. 05, तहसील पुनासा में स्थित सर्वे क्रमांक-49 रकबा 0.539 है. भूमि.
2. शिवजी का मंदिर, आर. सी. सी. निर्मित 10×10 फीट
3. हनुमानजी का मंदिर, आर. सी. सी. निर्मित 06×06 फीट
4. गणेशजी का मंदिर, आर. सी. सी. निर्मित 06×06 फीट
5. नर्मदमाताजी का मंदिर, आर. सी. सी. निर्मित 06× 06 फीट
6. बाबा लालदासजी का मंदिर, आर. सी. सी. निर्मित 06×06 फीट
7. दुर्गा माता का मंदिर, आर. सी. सी. निर्मित 06×06 फीट

8. दस कमरे, आर. सी. सी. निर्मित 10×10 फीट
9. कार गेरेज टिन शेड का
10. एक हाल टिन शेड 40×40 फीट
11. एक हाल टिन शेड 40×20 फीट
12. एक हाल टिन शेड 17×35 फीट
13. रसोई टिन शेड 17×15 फीट
14. एक कमरा टिन शेड 17×15 फीट
15. सात लेट्रीन बाथरूम
16. एक बावडी 10×10 फीट

(492)

बी-कार्तिकेयन,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक सहकारी समितियां, जिला सिंगरौली

सिंगरौली, दिनांक 14 अगस्त, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (1)(सी/ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिंगरौली के द्वारा अधोलिखित समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	साक्षरता दरी बुनकर सहकारी समिति मर्या., बसाही	765/07-12-1998	899/27-09-2014
2.	उर्जा. उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बहेराटोला	1107/02-07-2009	929/30-09-2014
3.	कृषि उत्पा. क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., मानिकपुर	988/11-03-2005	929/30-09-2014
4.	कृषि उत्पा. क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., धरौली	1008/21-04-2005	929/30-09-2014
5.	क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., खुटार	913/06-05-2003	929/30-09-2014

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्रमांक-57 (1) सी/ग अंतर्गत उक्त संस्थाओं के सदस्यों, पदाधिकारियों, लेनदारों एवं देनदारों तथा उन समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे अपनी देनदारी-लेनदारी व अन्य दावे मय प्रमाण सहित इस सूचना प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस की अवधि में मुझे लिखित रूप में कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला सिंगरौली में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी दावे पर विचार संभव नहीं होगा. समिति के परिसमापन हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी.

यह सूचना आज दिनांक 14 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया जाता है.

(467)

व्ही. डी. मिश्रा,
वरिष्ठ सहाकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल

बैतूल, दिनांक 31 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी.निर.आ./2015/1041.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2013/769, दिनांक 31 अगस्त, 2013 के द्वारा आदिवासी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., हिड़ली, जिसका पंजीयन क्रमांक 1404, दिनांक 18 मई, 1999 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई. संस्था के परिसमापक

श्री सी. एल. डोंगरे, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतएव मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था आदिवासी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., हिड़ली, जिसका पंजीयन क्रमांक 1404, दिनांक 18 मई, 1999 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(468)

बैतूल, दिनांक 31 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./पंजी.निर.आ./2015/1040.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2013/769, दिनांक 31 अगस्त, 2013 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उमनढाना, जिसका पंजीयन क्रमांक 1572, दिनांक 17 दिसम्बर, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई। संस्था के परिसमापक श्री सी. एल. डोंगरे, सहकारिता विस्तार अधिकारी द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतएव मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उमनढाना, जिसका पंजीयन क्रमांक 1572, दिनांक 17 दिसम्बर, 2007 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

के. व्ही. सोरते,
उप-पंजीयक.

(470)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

छत्रपति शिवाजी गृ. नि. सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन, क्रमांक/डी.आर.बी. 138, दिनांक 30 अगस्त, 1979 है द्वारा परिसमापन में लाये जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 02 जनवरी, 2014 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके साथ संस्था की आमसभा दिनांक 29 सितम्बर, 2013 का कार्यवाही विवरण एवं वित्तीय पत्रक भी संलग्न किया गया है। वर्तमान में संस्था के पास कोई भूखण्ड शेष नहीं होने अधिकतर भूखण्डों पर निर्माण कार्य पूर्ण होने, विकास कार्य पूर्ण होने, चूना-भट्टी के अलावा संस्था के पास अन्य कोई भूमि नहीं होने का उल्लेख कर संस्था को परिसमापन में लाकर, परिसमापक नियुक्त करने का आग्रह किया है। प्रस्तुत वित्तीय पत्रकों का सहायक पंजीयक अंकेक्षण से संस्था की अंकेक्षण स्थिति की टीप लेने एवं संस्था की आमसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त है का उपयोग करते हुये छत्रपति शिवाजी गृ. नि. सहकारी संस्था मर्या., भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ, तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री व्ही. के. कौशल, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ, यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री व्ही. के. कौशल, व. स. नि. परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

आर. एस. विश्वकर्मा,
उप-पंजीयक.

(469)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, सीहोर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सीहोर के आदेश क्रमांक 1027, दिनांक 27 सितम्बर, 2014, 276, दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को सहाकारी सोसायटी 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	विश्वकर्मा औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., सीहोर	578/22-03-1987	1027/27-09-2014
2.	कृष्णा आईल मिल सहकारी संस्था मर्या., सीहोर	429/16-12-1954	276/31-03-2015
3.	सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., गेरुखान, तह. व जिला सीहोर	175/14-06-1961	276/31-03-2015

अतः मैं, डी. सी. जैन, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें. समयवधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/सदस्य अन्य पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नकदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें. अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

डी. सी. जैन,

(491)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 28 मई, 2015

संशोधित आदेश

क्र./परि./2015/641.—पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए पूर्व में नियुक्त परिसमापकों को कार्यालयीन कार्य की सुविधा को दुष्टिगत रखते हुए इनके स्थान पर कॉलम क्रमांक-3 में लिखित संस्थाओं हेतु कॉलम क्रमांक-5 में दर्शित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया जाता है :-

क्रमांक	पूर्व परिसमापक	परिसमापनाधीन संस्था	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	नवनियुक्त परिसमापक
1	2	3	4	5
1.	श्री योगेश शर्मा सहकारी निरीक्षक.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलोनखुर्द माँ गायत्री प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बड़ौद.	521/06-05-2015 522/06-05-2015	श्री आर. सी. बीजापारी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक. श्री आर. सी. बीजापारी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

नवनियुक्त परिसमापक सम्बन्धित पूर्व परिसमापक से चार्ज तत्काल प्राप्त कर संस्था की लेनदारी/देनदारी का निराकरण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

(490)

शाजापुर, दिनांक 08 जून, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/686.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चौसलाकुल्मी, तहसील व जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-419,

दिनांक 07 सितम्बर, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/919, दिनांक 19 अगस्त, 2014 में परिसमापन में लाया गया था. संस्था परिसमापक श्री आर. के. खटीक, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2015 को संस्था के सदस्यों की विशेष साधारण सभा बुलाई गई, जिसमें सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने एवं संस्था का कार्य व्यवसाय पुनः प्रारम्भ करने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया गया.

परिसमापक श्री आर. के. खटीक, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 09 मार्च, 2015 में संस्था के सदस्यों के हितों को दृष्टिगत रखकर संस्था को पुनर्जीवित किये जाने की अनुशंसा की गयी है.

अतः मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-1999-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदस्यों के व्यापक हित में दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चौसलाकुल्मी, तहसील व जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक-419, दिनांक 07 सितम्बर, 1987 को निम्न शर्तों के साथ पुनर्जीवित किया जाता है :-

- (1) संस्था प्रस्तुत कार्य योजना अनुसार अपना कार्य व्यवसाय संस्था की उप-विधि के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगी एवं प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करावेगी.
- (2) संस्था प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दो माह के भीतर अंकेक्षण हेतु संस्था के वित्तीय पत्रक एवं अन्य अभिलेख कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगी.
- (3) संस्था की तदर्थ प्रबंधकारिणी समिति तीन माह के भीतर निर्वाचन कराये जाने हेतु विधिवत प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत करेगी.
- (4) नामांकित अवधि में संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना अनुसार संचालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.
- (5) संस्था की पुरानी लाभ-हानि एवं समस्त देनदारी-लेनदारी के निराकरण की जिम्मेदारी संस्था की होगी.

संस्था की विशेष आमसभा में पारित प्रस्ताव अनुसार निम्नांकित कार्यकारिणी समिति नामांकित की जाती है, जो उपयुक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी :-

क्रमांक	नाम	पता	पद
1	2	3	4
1.	मानसिंह/जगदीशप्रसाद	ग्राम चौसलाकुल्मी	अध्यक्ष
2.	बालकृष्ण/मोतीसिंह	ग्राम चौसलाकुल्मी	उपाध्यक्ष
3.	राधेश्याम/बलदेवसिंह	ग्राम चौसलाकुल्मी	संचालक
4.	जालमसिंह/सालगराम	ग्राम चौसलाकुल्मी	संचालक
5.	शिवनारायण/तोलाराम	ग्राम चौसलाकुल्मी	संचालक
6.	बलराम/राजमल	ग्राम चौसलाकुल्मी	संचालक
7.	राजमल/जरोमसिंह	ग्राम चौसलाकुल्मी	संचालक
8.	मुंशीलाल/रामचन्द्र	ग्राम चौसलाकुल्मी	संचालक
9.	हुकुमसिंह/देवीसिंह	ग्राम चौसलाकुल्मी	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 08 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

आर. के. मालवीय,
उप-पंजीयक.

(490-A)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्था मर्या., विदिशा

विदिशा, दिनांक 04 अगस्त, 2014

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे 70 (1) अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गंज	379/26-09-1991	593/21-05-1998
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हतौड़ा	303/27-10-1991	596/21-05-1998
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हरगनाखेड़ी	387/01-10-1991	608/21-05-1998
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुराहर	414/21-01-1992	604/21-05-1998
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खिरिया	438/21-05-1992	987/01-08-1998

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो, तो मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये सम्बन्धित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में सम्बद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

आज दिनांक 04 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

अनिल कुमार सक्सैना,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(494)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में थी. उक्त संस्थाओं का संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/516, विदिशा, दिनांक 16 जून, 2014 के द्वारा मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करैयाहाट	268/23-11-1986	206/19-02-2007
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरौ	286/23-11-1986	210/19-02-2007
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हिनोतिया	287/31-10-1986	207/19-02-2007
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पुरवाई	445/27-05-1992	205/19-02-2007
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बगरोदा	406/30-10-1991	211/19-02-2007
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झकरजोगी	429/31-03-1992	204/19-02-2007
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुरारिया	415/29-01-1992	209/19-02-2007
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लटेरी	404/30-10-1991	208/19-02-2007

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, विदिशा में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के लिये सम्बन्धित दावेदार स्वयं दायित्वाधीन होंगे. यदि 60 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में सम्बद्ध लेखाबद्ध दायित्व मुझे स्वमेव प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी करता हूँ.

आर. एस. राज,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(495)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 सितम्बर 2015-भाद्र 20, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 13 मई, 2015

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, सागर, मण्डला व छिन्दवाड़ा जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील अम्बाह, पोरसा, मुरैना, जौरा (मुरैना), कराहल (श्योपुर), डबरा, भितरवार, घाटीगांव (ग्वालियर), गढ़ाकोटा (सागर), मण्डला (मण्डला), अमरवाड़ा, चौरई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील ग्वालियर (ग्वालियर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला ग्वालियर, शहडोल, मंदसौर, झाबुआ, खरगौन, बुरहानपुर व सिवनी में खरीफ फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—जिला दमोह में जायद फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—जिला बैतूल व डिण्डोरी में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, टीकमगढ़, सागर, शहडोल, उमरिया, नीमच, शाजापुर, बड़वानी व नरसिंहपुर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 13 मई, 2015

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अम्बाह	2.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	2.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	6.2				
4. जौरा	2.0				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. श्योपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	7.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	..				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	17.8		4. (1) गन्ना, मूँगमोट, तुअर, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	3.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	7.0				
4. घाटीगांव	3.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	..				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	..		4. (1) तुअर जौ अधिक. गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) मूँग, जौ, राई-सरसों, अलसी, प्याज	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	..		तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल, गेहूँ,		
4. पवई	..		चना, मसूर, आलू कम.		
5. शाहनगर	..		(2) ..		
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	..		समान.		
4. सागर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	4.8				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जायद फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूंग, उड़द. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, सरसों कम. अलसी समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बधेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों अधिक. मसूर, अलसी, अरहर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकचुलियान	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, गेहूँ, चना, कोदों-कुटकी, मक्का, सोयाबीन, तुअर, राई-सरसों, मसूर, मटर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. सिंहावल	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. सुवासरा-टप्पा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्धडका	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	..				
*जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावरा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. आलोट	..		(2) ..		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
*जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खाचरौद	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. महिदपुर	..		(2) ..		
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़ौद	..		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. मो. बड़ोदिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ...	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ...	7. ..
1. थांदला	..		4. (1) मूंग अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. मेघनगर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ...	7. ..
1. जोवट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बदनावर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूंगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		अलसी, राई-सरसों, अधिक. ज्वार,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..		धान, तुअर, गेहूं, चना कम.		
4. खरगौन	..		(2) ..		
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
*जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..		(2) ..		
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..		(2) ..		
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचौर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2)	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2)	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		अधिक. चना, मसूर लाख, तिवड़ा	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	..		कम.		
4. गौहरगंज	..		(2) ..		
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिक्की-मालवा	..		4. (1) चना, मटर अधिक. मसूर मूंग	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		कम. गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	..		(2) ..		
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
*जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..		4. (1) मूंग अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डमपुर	..				
*जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. रीठी	..		(2) ..		
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना, गेहूँ, मसूर, मटर अधिक. सोयाबीन, चना कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा .. 2. करेली .. 3. नरसिंहपुर .. 4. गोटेगांव .. 5. तेन्दूखेड़ा ..					
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास .. 2. बिछिया .. 3. नैनपुर .. 4. मण्डला 1.2 5. घुघरी .. 6. नारायणगंज ..					
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर अलसी, मटर बिगड़ी हुई. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी .. 2. बजाग .. 3. शाहपुरा ..					
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा .. 2. जुन्नारदेव .. 3. परासिया .. 4. जामई (तामिया) .. 5. सोंसर .. 6. पांडुर्णा .. 7. अमरवाड़ा 11.6 8. चौरई 12.6 9. बिछुआ .. 10. हरई .. 11. मोहखेड़ा ..					
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, मक्का, तुअर, मूँगफली, गन्ना अधिक. ज्वार, कोदों-कुटकी, सोयाबीन, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी .. 2. केवलारी .. 3. लखनादौन .. 4. बरघाट .. 5. उरई .. 6. घंसौर .. 7. घनोरा .. 8. छपारा ..					
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट .. 2. लाँजी .. 3. बैहर .. 4. वारासिवनी .. 5. कटंगी .. 6. किरनापुर ..					

टीप.— *जिला अशोकनगर, रतलाम, उज्जैन, खण्डवा, हरदा, कटनी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(488)